बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन संख्या–38/2025, योजना एवं विकास विभाग, बिहार के अन्तर्गत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के कुल–47 (सैंतालीस) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु दिनांक 03-08-2025 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल कुल 574 (पाँच सौ चौहत्तर) उम्मीदवारों से मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

2. मुख्य परीक्षा हेतु विषय :–

मुख्य परीक्षा का स्वरूप लिखित (विषयनिष्ठ) होगा। मुख्य (विषयनिष्ठ) परीक्षा का पैटर्न निम्नवत् होगा:–

क्र०सं०	विषय	अवधि	पूर्णांक
1.	अनिवार्य विषय 1. सामान्य हिन्दी (मात्र क्वालीफाईंग) 2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र 3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र	 3:00 घंटे 3:00 घंटे 3:00 घंटे	 100 अंक 300 अंक 300 अंक
2.	वैकल्पिक विषय (इनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा) (1) अर्थशास्त्र (2) गणित (3) सांख्यिकी	3:00 घंटे	300 अंक

उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन उम्मीदवार द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा के आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किया जाना है। वैकल्पिक विषय के चयन के पश्चात् अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन/बदलाव किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

नोट:–उपर्युक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। उक्त विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

(i) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू में, से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

(ii) सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 अंक है, जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नही की जायेगी। शेष तीन विषयों में समेकित रूप से कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प संख्या–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

(iii) संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को निम्न रूपेण अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी:–

(क) संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। **इस हेतु कार्य अनुभव की गणना प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि–24.06.2025 तक की जायेगी।**

नोट:– संविदा के आधार पर किये गये कार्य अनुभव अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना का मान्य होगा एवं संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि के विनिश्चय के लिए सक्षम प्राधिकार भी यही होंगे।

3. चयन प्रक्रिया – नियुक्ति हेतु चयन, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर की जायेगी।

(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 की कंडिका–10 के आलोक में मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक एवं उक्त विज्ञापन की कंडिका–2(iii) के अनुरूप संविदा कर्मियों को कार्यानुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या

अधियाचित रिक्तियों के ढ़ाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट–ऑफ–अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।

(ख) मुख्य (लिखित) परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जानेवाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

A. साक्षात्कार का पूर्णांक 120 अंकों का होगा।

B. इस विज्ञापन के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

4. मेधा सूची:– मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार (अन्तर्वीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। मेधा सूची तैयार करने के क्रम में समान प्राप्तांक होने पर जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।

5. आरक्षण :– प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण तथा अन्य लाभ अनुमान्य होंगे एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

6. शुल्क :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–15568, दिनांक–21.08.2025 के आलोक में मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	**22-11-2025**
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	**12-12-2025**

(i) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) सभी उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक होगी। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदागत अनुभव संबंधी दावों को सत्य मानते हुए दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार/परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

8. महत्वपूर्ण निर्देश:–

आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण–पत्र।

(iii) स्नातकोत्तर अंक पत्र।

(iv) बिहार राज्य के अन्तर्गत संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर किये गये कार्य की अधिमानता एवं उम्र सीमा में छूट के लिए निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा किये गये कार्यानुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र, प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन एवं वेतन पर्ची यथास्थिति माँग की जा सकती है)।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।

(vii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के समय शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र।

(x) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 एवं पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।

(xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xiii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xiv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा की आवेदन में दावा किया हो।

(xv) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) पासपोर्ट आकार का फोटो।

(xvi) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी।

9. सभी वांछित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि– **24-06-2025** तक का होना आवश्यक है।

10. उपर्युक्त प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

11. <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाः–</u>

(i) आवेदक को अपने User Name & Password से Login करने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(iii) इन्टरनेट के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(iv) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(v) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।

(vi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(vii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये <u>ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।</u> उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

Note:- यदि आवेदक को **Application Form** भरने में कोई शिकायत है, तो **Grievance Tab** में उसका विवरण दे सकते हैं।

12. <u>महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः **My Account Tab** पर **Click** करेंगे, तत्पश्चात् **Action** के अन्दर **View Option** पर **Click** करने पर

Application Print का **Option** दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
14. शैक्षिक योग्यता एवं संविदागत अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किया है।
15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
16. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट तथा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

28/11/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना